क्रमांक 19

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

गुरुवार, दिनांक 17 जनवरी 2019 (पौष 27 , 1940)

पंचदश् मध्यप्रदेश विधान सभा का द्वितीय सत्र

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पंचदश् मध्यप्रदेश विधान सभा का द्वितीय सत्र सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019 को प्रारम्भ होगा.

द्वितीय सत्र में कार्य निष्पादन के लिए दिनों का नियतन

फरवरी- 2019 सत्र

(1) इस सत्र हेतु की गई व्यवस्था के अनुसार, कार्य निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर निम्नलिखित दिनांकों के लिए नियत की गई हैं:—

फरवरी- - 18, 20 एवं 21.

(2) बैठकों की अस्थायी दिनदर्शिका सदस्यों को अलग से भेजी जा रही है.

विधान सभा की बैठकों का समय

जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश न दें, बैठकों के दिनों में, विधान सभा की बैठकें, पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक और अपराह्न 3.00 बजे से 5.30 बजे तक होंगी.

सत्र प्रारंभ होने के पूर्व दी जाने वाली सूचनाएं

सभा की बैठक आरंभ होने के पूर्व सदस्यों द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित सूचनाएं दिनांक 12 फरवरी, 2019 से कार्यालय समय में विधान सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त की जावेंगी तथा उन पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार किया जायेगा. उक्त दिनांक से पूर्व प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा :—

(1) स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं.

(2) ध्यान आकर्षण की सूचनाएं.

(3) नियम 267-क के अधीन सूचनाएं.

(4) मंत्रि-परिषद् में अविश्वास की सूचनाएं.

स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण तथा नियम 267-क के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं

(क) कार्य की सुविधा की दृष्टि से स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण तथा नियम 267-क के अधीन सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं **श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, संचालक** तथा ध्यान आकर्षण तथा नियम 267-क के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं **श्री रमेश महाजन, उप सचिव** प्राप्त करेंगे, अपने स्थान पर उनके उपलब्ध न होने की दशा में ये सूचनाएं **प्रमुख सचिव** प्राप्त करेंगे.

(ख) उपर्युक्त सूचनाएं सत्र वाले दिन प्रात: 7.30 बजे से प्राप्त की जायेंगी. स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्रात: 8.30 बजे के पश्चात् प्राप्त होने की दशा में अगले दिन के लिए मानी जायेंगी. ध्यान आकर्षण तथा नियम 267-क की सूचनाएं प्रात: 9.00 बजे के बाद प्राप्त होने की दशा में अगले दिन के लिए मानी जायेंगी. **जिन दिनों में बैठकें नहीं होंगी और सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा उन दिनों में ये सूचनाएं पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक सचिवालय में ली जायेंगी.** संबंधित अधिकारी उपरोक्त सूचनाएं प्राप्त होते ही सर्वप्रथम प्राप्ति का दिनांक तथा समय, सूचना देने वाले सदस्य के सामने अंकित करेंगे. शासकीय अवकाश के दिनों में किसी कारणवश सचिवालय खोले जाने पर उस दिन सचिवालय में सूचनाएं प्राप्त नहीं की जायेंगी. सूचनाएं विधान सभा के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के घर पर नहीं ली जायेंगी.

(ग) नियम 267-क के अंतर्गत विषय उठाने की प्रक्रिया :—

(1) नियम 267-क के अंतर्गत विषय उठाने की सूचनाएं भेजते समय उस वक्तव्य का पूरा पाठ अवश्य भेजा जावे जो कि अनुमति प्राप्त होने पर सदन में पढ़ा जायेगा.

(2) वक्तव्य सर्वथा संक्षिप्त और विषय से ही संबंधित होना चाहिए.

(3) सूचनाएं देने के लिए प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

(4) सप्ताह में सभा की होने वाली बैठकों के अन्तिम दिन प्रात: 9.00 बजे तक प्राप्त सूचनाओं में से अध्यक्ष महोदय की सम्मति प्राप्त सूचनाओं के अतिरिक्त शेष सूचनाएं व्यपगत मानी जायेंगी, जिसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी. ऐसी व्यपगत सूचनाओं के विषय उठाने हेतु यदि आगामी सप्ताह में बैठक निर्धारित हो तो पुन: सूचना दी जा सकती है. उपर्युक्त समय के उपरान्त प्राप्त सूचना आगामी सप्ताह में होने वाली सभा की बैठक के लिए मान्य होगी.

सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से निम्नांकित नियम 251 की ओर दिलाया जाता है :—

''251. **बोलते समय कोई सदस्य—**

(1) किसी ऐसे तथ्य-विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबित हो.

(2) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा.

(3) संसद् या किसी राज्य विधान मण्डल की कार्यवाही के संचालन के विषय में आपत्तिजनक पदावली का उपयोग नहीं करेगा.

(4) सभा के किसी निर्णय पर उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य प्रकार के आक्षेप नहीं करेगा.

(5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो.

व्याख्या.—शब्द ''उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों'' का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अधीन केवल उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जा सकती है, या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है, जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में उनके द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जानी चाहिए.

(6) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा.''